



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082020-221193
CG-DL-E-18082020-221193

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2480]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2020/श्रावण 27, 1942

No. 2480]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2020/SHRAVANA 27, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2020

सं. 28 / 2015—2020

विषय : मास्क और कवरऑल के लिए कपड़े के कच्चे माल की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 2797(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा नीचे दिए गए उत्पाद विवरण के अनुसार मास्क और कवरऑल के लिए कपड़े के कच्चे माल के निर्यात से संबंधित आईटीसीएचएस निर्यात नीति की अनुसूची 2 में संशोधन करने वाली दिनांक 13.07.2020 की अधिसूचना संख्या 18 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

I मास्क और कवरऑल के लिए कपड़े के कच्चे माल की अधिसूचना संख्या 18 दिनांक 13.07.2020 के अनुसार वर्तमान निर्यात नीति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	वर्तमान नीति
	560312 560392	25—70 जीएसएम का नॉन—वूवन फैब्रिक्स	निषिद्ध

207 ग	560311	25-70 जीएसएम को छोड़कर अन्य नॉन-वूवन फैब्रिक्स (नॉन-वूवन फैब्रिक के मेल्टब्लोन श्रेणी को छोड़कर)	मुक्त
	569313		
	560314		
	560391		
	560393		
	560394		

II मास्क और कवरऑल के लिए कपड़े के कच्चे माल की निर्यात नीति अब निम्नानुसार संशोधित की जाती है:

क्र. सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	संशोधित नीति
207 ग	560312	किसी भी जीएसएम का नॉन-वूवन फैब्रिक्स (किसी भी जीएसएम का मेल्ट-ब्लोन फैब्रिक को छोड़कर)	मुक्त
	560392		
	560311		
	569313		
	560314		
	560391		
	560393		
	560394		

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

अधिसूचना सं. 18 दिनांक 13.07.2020 को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि ऊपर विनिर्दिष्ट एचएस कोडों के लिए निर्यातित किसी भी जीएसएम के केवल मेल्ट-ब्लोन फैब्रिक्स निर्यात के लिए निषिद्ध है। किसी भी जीएसएम (25-70 जीएसएम सहित जो पहले निषिद्ध किए गए थे) के अन्य सभी नॉन-वूवन फैब्रिक्स निर्यात के लिए मुक्त रूप से अनुमत हैं।

[फा. सं. 01/91/180/21/एम-20/ईसी-ई 20261]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2020

No. 28/2015-2020

Subject : Amendment in Export Policy of textile raw material for masks and coveralls

S.O. 2797(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification No. 18 dated 13.07.2020 amending the Schedule 2 of the ITCHS Export policy related to export of textile raw material for masks and coveralls as per the product description given below:

- I. The current export policy as per **Notification No. 18 dated 13.07.2020** of textile raw material for masks and coveralls is as follows:

S.No.	ITCHS Codes	Description	Current Policy
	560312 560392	Non-woven fabrics for 25-70 GSM	Prohibited
	560311 569313 560314 560391 560393 560394	Non-woven fabrics other than 25-70 GSM (Except Melt-blown category of Non-woven fabric)	Free

II. The export policy of textile raw material for masks and coveralls is now **revised as under:**

S.No.	ITCHS Codes	Description	Revised Policy
207 C	560312 560392 560311 569313 560314 560391 560393 560394	Non-woven fabrics of any GSM (Except Melt-blow Fabric of any GSM)	Free

2. Effect of this Notification:

The Notification No. 18 dated 13.07.2020 is amended to the extent that only melt blown fabric of any GSM exported against the HS codes specified above is prohibited for export. All other non-woven fabrics of any GSM (including of GSM 25-70 which were earlier prohibited) are freely allowed for exports.

[F. No. 01/91/180/21/AM20/EC-E 20261]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Additional Secy.